

2087

53

Ishwari Datta Garna
LIC. NO.-38
STAMP VENDOR HLD



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No. : IN-UK77550774849256U
 Certificate Issued Date : 05-Apr-2022 11:23 AM
 Account Reference : NONACC (SV)/ uk1217204/ HALDWANI/ UK-NT
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK121720459815305904221U
 Purchased by : HITENDRA UPRETI
 Description of Document : Article 35 Lease
 Property Description : VILLAGE BAMORI TALLI BANDOBASTI TEHSIL HALDWANI DISTT NAINITAL
 Consideration Price (Rs.) : 0
 (Zero)
 First Party : BEENA UPRETI
 Second Party : HITENDRA UPRETI
 Stamp Duty Paid By : HITENDRA UPRETI
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 5,000
 (Five Thousand only)




12

Please write or type below this line.....



Beena

Beena Upreti



Hitendra

Hitendra Upreti

0000424377

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

किरायानामा (लीज-डीड)

लीज डीड	-	10 वर्ष
किराया राशि	-	5,000/- रुपये मासिक
स्टाम्प शुल्क	-	5,000/- रुपये
लीज क्षेत्रफल	-	1265.05 वर्ग मीटर यानि 13612 वर्ग फिट भूमि व उसमें निर्मित भवन
सम्पत्ति स्थित	-	ग्राम बमौरी तल्ली बन्दोबस्ती (अन्दर नगर निगम हल्द्वानी) परगना भावर छः खाता तहसील-हल्द्वानी, जिला-नैनीताल।

रुपये 5,000/- का स्टाम्प शुल्क सर्टिफिकेट संख्या IN-UK77550774849256U दिनांक 05 अप्रैल 2022 ई0 को जारी ई स्टाम्प अदा किया गया है।

हम कि श्रीमती बीना उप्रेती पत्नी श्री कमल उप्रेती निवासी 6-22 पधुजा निशान्त विहार तल्ली बमौरी तहसील हल्द्वानी जिला नैनीताल प्रथम पक्ष एवं श्री हितेन्द्र उप्रेती पुत्र श्री जगदीश चन्द्र उप्रेती निवासी 6-22 मधुजा निशान्त विहार तल्ली बमौरी तहसील हल्द्वानी जिला नैनीताल द्वितीय पक्ष यह किरायानामा विलेख निम्न भाँति निष्पादित कर देते हैं :-

- 1- यह कि प्रथम पक्ष के नाम वाके ग्राम बमौरी तल्ली बन्दोबस्ती परगना छः भावर तहसील हल्द्वानी जिला नैनीताल में स्थित भवन संख्या- 3-सी-181 कुल रकवा 13621 वर्ग फिट भूमि में निर्मित एक भवन जिसकी सीमा पूरब में बोरा जी का मकान, पश्चिम में 20 फिट यानि 6.097 मीटर चौड़ा रास्ता, उत्तर में मनीष उप्रेती की भूमि एवं दक्षिण में फर्सवान जी की भूमि स्थित है, को आप द्वितीय पक्ष 5,000/-रुपये मासिक किराये पर लेने को सहमत है जो प्रथम पक्ष को स्वीकार है। उक्त वर्णित भूमि नगर निगम हल्द्वानी की सीमा के अन्तर्गत स्थित है।
- 3- यह कि उक्त किरायेदारी वाले भाग का मासिक किराया 5,000/-रुपये रहेगा।
- 4- यह कि उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति की किरायेदारी दिनांक 01 अप्रैल 2022 से प्रारम्भ होकर 10 वर्ष के लिये रहेगी। 10 के बाद द्वितीय पक्ष का किसी भी प्रकार का कब्जा उक्त सम्पत्ति पर नहीं रहेगा। इस 10 वर्ष की किरायेदारी को किसी प्रकार का वायदा खिलाफी नहीं करेगा।
- 5- यह कि द्वितीय पक्ष किरायेदार उपरोक्त सम्पत्ति का किराया प्रत्येक माह की सात तारीख तक नगद या बैंक द्वारा प्रथम पक्ष को अदा करता रहेगा।
- 6- यह कि जब कभी द्वितीय पक्ष वर्णित सम्पत्ति को निर्धारित समय से पूर्व खाली करेगा तो लिखित या व्यक्तिगत रूप से प्रथम पक्ष को 1 माह पूर्व सूचित करेगा कि द्वितीय पक्ष किरायेदारी वाले भाग को खाली करना चाहता है। यह लिखित सूचना देकर द्वितीय पक्ष किरायेदारी वाले भाग को खाली कर सकेगा।
- 7- यह कि उक्त किरायेदारी वाले भाग में आवश्यकता पड़ने पर ही रद्दोबदल किया जायेगा।
- 8- यह कि वर्णित किरायेदारी वाले भाग को द्वितीय पक्ष किराये पर ले रहा है उक्त हिस्से पर समस्त प्रकार के देयकों के निर्धारित मासिक किराये के अलावा विद्युत बिल, जल मूल्य, कूड़ा गाड़ी बिल भी स्वयं संबंधित विभाग को निर्धारित समय पर देता रहेगा तथा प्रथम पक्ष को उन देयक बिलों की रसीद भी देगा। यदि द्वितीय पक्ष किरायेदारी के भवन में अतिरिक्त विद्युत, जल, दूरभाष तथा अन्य संयोजन लेगा तो इन अतिरिक्त देयकों की अदायगी की पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

Beena Bhatti

H. Bhatti

(3-6)

- 9- यह कि किरायेदारी वाले भवन में रंगाई-पुताई, साज सज्जा आदि की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष को अपने खर्च से करनी होगी।
- 10- यह कि द्वितीय पक्ष अनुबन्ध पत्र किरायेदारी को बंधक रखकर कोई ऋण आदि नहीं लेगा।
- 11- यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के उपर किसी भी प्रकार के देयकों के बिना भुगतान किये किरायेदारी वाले भाग को खाली नहीं करेगा।
- 12- यह कि यदि वर्णित भवन में किरायेदार द्वारा किसी भी प्रकार का प्रदूषण, वाद-विवाद आदि नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा किया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
- 13- यह कि उक्त वर्णित शर्तों को दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।

अतः यह दस्तावेज किरायानामा (लीज डीड) दोनों पक्षकारों की सहमति से रूबरू गवाहान के तहरीर व तकमील कर रजिस्ट्री करा दिया कि सनद रहे। वक्त पर काम आवे। फक्त दिनांक-05.04.2022 ई0 व मुकाम हल्द्वानी।

Beena Prata

H. Prata



गवाह:- 1. जगदीश चन्द्र मुनगली पुत्र श्री शिव दत्त मुंगली
निवासी ग्राम बच्चीनगर नं0 1 तहसील हल्द्वानी जिला नैनीताल।
पहचान- आधार कार्ड संख्या- 5047 8921 6194



2. बी0 डी0 पाण्डेय पुत्र श्री शिव दत्त पाण्डेय
निवासी-3/447 दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली।
पहचान- डी0 एल0 संख्या-P03032005484182

ड्राफ्टेड बाई - भूपेश त्रिपाठी, एडवोकेट, हल्द्वानी।

Bhupesh Tripathi (Advocate)

टाईप बाई - बी0 डी0 पाण्डे, अ0 न0, हल्द्वानी।